

13.5.25 पत्रावली पेश हुई। उक्त पत्र अधिवक्ता द्वारा
 प्राप्ति की ओर से प्रा.पत्र. 22(4) का नोडिफिकेशन
 जिनके शर्तों में 1. 2) मृत्यु होने पर इनके नामों
 को रिकार्ड में लेने का निर्देश किया कि
 आगामी आदि. के उपलब्ध कराई गई
 पत्रों वाले जवाब प्रा.पत्र/बहम रहे किंग्स
 20-5-25 को पेश होत -

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
 अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)

20.5-25 पत्रावली पेश हुई। उक्त पत्र अधिवक्ता द्वारा
 प्राप्ति की ओर से प्रा.पत्र. 22(4) का
 प्राकृत पत्र का कल कापड में पेश किया गया
 20 जिन पर पत्रकारान द्वारा कोई कानि
 नहीं की है। आदि. के कापड में के अगुसा
 संशोधित होकर एवं तलकी नौरी में पेश
 करके हुए सुचित किया गया। ओपन के जवाब
 एवं तलकी हेतु पत्रावली 9.6.25 को पेश होत

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
 अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)

31/6/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्राप्ति उपस्थित।
 अधि. की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अधि.
 प्राप्ति ने संशोधित अवगत पेश करने हेतु
 समय चाहा। पत्रावली प्राप्ति संशोधित अवगत
 एवं जवाब के आगामी दिनांक 20/6/25 को पेश होत

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
 अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)

एल.लाला
 सामना
 इधर सिद्धे.
 उम्मेद.
 12-6-25

12/6/25 पत्रावली प्राप्ति के प्रा.पत्र बाबत प्रकरण वि. करके
 का प्रस्ताव होने पर प्रा. 52। प्राप्ति ने प्रा.पत्र में अधि.
 किया कि वे प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहते। प्रा.पत्र 14(4)
 को वि. करके प्रा. का निर्देश किया है।
 प्राप्ति को सुना गया। प्राप्ति इन प्रकरण को आगे
 नहीं चलाना चाहते हैं। अतः प्रा.पत्र में प्राप्ति का
 प्रा.पत्र स्वीकार कर पत्रावली प्रा.पत्र 14(4) वि.
 किया जाता है। पत्रावली प्रा.पत्र 14(4) वि.
 20 नवंबर से करे हुए

अतिरिक्त कलेक्टर एवं
 अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)